

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
D.K.S.BHAWAN, MANTRALAYA, RAIPUR.**

NOTIFICATION

F.No. ⁵⁸¹³ /D-2084/XXI-B/C.G./07,- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Court Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, makes following further amendment in department notification No.1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24.2.2005 and establish the following Additional Family Courts with effect from 01-08-07;-

NOTIFICATION

In the said notification;-

After the entry no.9 of Schedule-II, the following shall be added, namely;-

S.No.	Name of the Court and District.	Headquarters	Jurisdiction
10.	Family Court, Koriya (Baikunthapur).	(a) Manendragarh, (b) Additional place of sitting for a week, in the first week of every month at Baikunthapur.	(a)Tahsil Manendragarh and Chirmiri. (b)Revenue District Koriya (Baikunthapur) excluding the jurisdiction of the courts of Tehsil Manendragarh, Chirmiri and Janakpur.
11.	Family Court, Janjgir-Champa.	Janjgir.	Revenue District Janjgir-Champa excluding the jurisdiction of the Court of Sakti.
12.	Family Court, Rajnandgaon.	Rajnandgaon.	Revenue District Rajnandgaon excluding the jurisdiction of the courts of Ambagarh Chowki, Dongargarh and Khairagarh.

अधिसूचना

5013
1
फा0 क0 2084/21-ब/छ0ग0/07,- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से विभाग की अधिसूचना कमांक 1502/डी-397/21-ब/छ0ग0/05, दिनांक 24.02.05 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है तथा दिनांक 1.8.2007 से निम्नानुसार अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची-दो के प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्न जोड़ा जाए, अर्थात्:-

अनु0क0	न्यायालय का नाम एवं जिला.	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
10.	कुटुम्ब न्यायालय, कोरिया (बैकुण्ठपुर)	(क) मनेन्द्रगढ़ (ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बैकुण्ठपुर, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(क) तहसील मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी. (ख) तहसील मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं जनकपुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर).
11.	कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सक्ती तहसील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला जांजगीर-चांपा.
12.	कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव.	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

01/2 (टी0 पी0 शर्मा) 07
प्रमुख सचिव

छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्र० 5814 / डी02084 / 21-ब / छ0ग0 / 07, रायपुर, दिनांक 9/07.2007

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2084 / तीन-8-2 / 2001, दि० 9.7.07 के संदर्भ में,
2. उप संचालक, शासन क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छ0ग0 की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु,
3. मान० विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
4. प्रमुख सचिव, विधि महोदय के निज सचिव की ओर प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01/07/07 (ए० के० सामंत राय)
अतिरिक्त सचिव
छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग